रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 70] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 24, 1975/चैत्र 3, 1897
No. 70] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 24, 1975/CHAITRA 3, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 24th March 1975

G.S.R. 159(E).—In pursuance of rule 96 J of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 41/65-Central Excises, dated the 28th February, 1965, namely:—

In the said notification—

(i) in the first proviso, for the letters, figures and words "Rs. 80 per powerloom per quarter or Rs. 300/- per powerloom per year" the letters, figures and words "Rs. 100.00 per powerloom per quarter or Rs. 400.00 per powerloom per year" shall be substituted;

(ii) paragraph 2 shall be deleted.

[85/75]

N. OBHRAI, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

नई दिल्ली, 24 मार्च, 1975

सा० का० नि० 159 (अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पादशुल्क नियम, 1944 के नियम 96—ञ का अनुसरण करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 41/65—केन्द्रीय उत्पादशुल्क, तारीख 28 फरवरी, 1965 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में—

(i) प्रथम परन्तुक में, "80 रु० प्रति बिजली करघा प्रति तिमाही या 300 रु० प्रति बिजली करघा प्रति वर्ष" अंक, अक्षर और शब्दों के स्थान पर "100 रु० प्रति बिजली करघा प्रति तिमाही या 400 रु० प्रति बिजली करघा प्रति वर्ष" अंक, अक्षर और शब्द रखे जाएंगे।

(ii) पैरा 2 का लोप किया जाएगा।

[85/75]

एन० ओबराय, अवर सचिव।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975